भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 15

उत्तर देने की तारीख: 19.07.2021

आई.आई.टी. मद्रास

†15. श्री टी.आर. बालू:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चेन्नई का गौरव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास जाति एवं धार्मिक आधार पर छात्रों तथा संकाय के साथ भेदभाव करने का स्थान बनता जा रहा है;

(ख) 2019 में छात्रावास में सुश्री फातिमा नामक एक छात्रा की आत्महत्या के मद्देनजर आईआईटी चेन्नई में इस अमानवीय एवं अवैध कृत्य को समाप्त करने के लिए सरकार और आईआईटी मद्रास प्रबंधन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अ.जा.,अ.ज.जा., गैर-हिन्दू धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित छात्रों और संकाय पर अत्याचार बेरोकटोक जारी है जैसाकि हाल ही में चेन्नई आईआईटी के सहायक प्रोफेसर के त्यागपत्र से सिद्ध होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धमेन्द्र प्रधान)

(क): आईआईटी मद्रास जाति या धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

(ख): आईआईटी मद्रास, अपने छात्रों के आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से, प्रत्येक छात्र/ शोध विद्वान का मानसिक कल्याण सुनिश्चित करता है। संस्थागत परामर्श सेवा 24x7 आधार पर छात्रों/विद्वानों को प्रदान की जा रही है। छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए परिसर में एक पूर्णकालिक कार्यात्मक संस्थान अस्पताल है। नए भर्ती छात्रों को एक अभिविन्यास कार्यक्रम के माध्यम से शामिल किया जाता है, जिसमें वे संस्थान के निदेशक

सहित विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं। अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें संस्थान में सहज बनाना है, जो उनके लिए एक नया वातावरण है।

(ग) और (घ): प्रौद्योगिकी अधिनियम संस्थान, 1961 की धारा 7(1) में यह प्रावधान है कि संस्थान सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा, चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों, और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों या कर्मकारों को प्रवेश या उनकी नियुक्ति करने में या किसी भी अन्य बात के सम्बन्ध में धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदण्ड या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी।

*****